स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र (School Monitoring Format)

भरे जाने हेतु दिशा–निर्देश

सत्र 2015–16 से विद्यालयों की शैक्षिक/सहशैक्षिक गतिविधियों को समझने, गुणवत्ता वृद्धि एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स का निर्माण किया गया है। सत्र 2016–17 में भी क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में सूचना एकत्रित कर गुणवत्ता के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास किया जायेगा। इस गतिविधि के उद्देश्य निम्नांकित हैं –

- बच्चों के शैक्षिक स्तर के साथ–साथ विद्यालय के विभिन्न पक्षों की वास्तविक स्थिति को समझना।
- प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विद्यालय में गुणवत्ता के विभिन्न आयामों की समीक्षा करना एवं गुणवत्ता वृद्धि हेतु विद्यालयों को फीड बैक देना।
- गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य करवाना।
- मॉनिटरिंग की गुणवत्ता को मजबूती देना।
- गुणवत्ता के विभिन्न आयामों को विद्यालय, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर समझना।

स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र को भरने की जिम्मेदारी विद्यालय के संस्था प्रधान की है। संस्था प्रधान द्वारा वर्ष में तीन बार स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र को भरा जाना है। संस्था प्रधान की ही यह जिम्मेदारी है कि स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र को भर कर इसकी ऑनलाइन फीडिंग करवाएँ। इस हेतु प्रति प्रपत्र की फीडिंग के लिए संस्था प्रधान 15/– रुपये (कुल 3 प्रपत्रों हेतु 45 रुपए) विद्यालय सुविधा अनुदान राशि (S.F.G) से व्यय कर सकेंगे। संस्था प्रधान द्वारा नीचे दी गई दिनांक तक स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र को भर कर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन फीडिंग करवाई जानी है। फीडिंग के पश्चात् संस्था प्रधान प्रपत्र की एक प्रति ब्लॉक कार्यालय को उपलब्ध कराएँगे तथा एक प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे।

प्रपत्र चरण	सूचना आधार दिनांक	S.M.F (ऑनलाइन हेतु अन्तिम तिथि)
प्रथम	31 अगस्त 2016	10 सितम्बर 2016 तक
द्वितीय	31 दिसम्बर 2016	10 जनवरी 2016 तक
तृतीय	30 अप्रैल 2017	10 मई 2016 तक

स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र को बिन्दुवार इस प्रकार भरा जाना है –

नोट : स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र (School Monitoring Format) को भरने से पूर्व दिए गए प्रश्न की प्रकृति की आवश्यकतानुसार दस्तावेज, लिखित सामग्री, रजिस्टर, डायरी, कापियाँ, प्रपत्र आदि देखे जा सकते हैं। आवश्यकतानुसार बच्चों से, शिक्षकों से, समुदाय से बातचीत की जा सकती है।

विद्यालय से संबंधित जानकारी

1. **निर्धारित अवधि के तहत सूचना** : जिस चरण का स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र भरा जा रहा है उसमें से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कॉलम में से 1 कॉलम को सही के निशान से चिह्नित किया जाना है।
2. **विद्यालय डाइस कोड** : यू डाइस के अन्तर्गत आवंटित 11 अंको में विद्यालय का डाइस कोड निर्धारित बॉक्स में अंकित किया जाना है।
3. **विद्यालय का नाम व पता** – राजकीय विद्यालय का स्तर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक अंकित करते हुए विद्यालय का पूर्ण पता मय ग्राम के अंकित किया जाना है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला का अंकन निर्धारित रिक्त स्थान पर किया जाये।

www.rajteachers.com

4. **विद्यालय का प्रकार** – प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं केजीबीवी विद्यालय में से सम्बन्धित को सही कर चिह्न लगाते हुए अंकित किया जावे। सम्बन्धित विद्यालय यदि उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में भी चिह्नित किया गया है तो उत्कृष्ट विद्यालय वाले बॉक्स में भी सही का निशान अंकित किया जावे।
5. **प्रधानाध्यापक का नाम एवं मोबाइल नम्बर** : शाला के संस्था प्रधान/नही होने के स्थिति में कार्यवाहक संस्था प्रधान का नाम एवं मोबाइल नम्बर अंकित किया जावे।

1. सामान्य जानकारी

नोट : उक्त बिन्दुओं में हाँ के लिए 1 व नही ं के लिए 2 अंकित करना है। जिन बिन्दुओं में संख्यात्मक जानकारी चाही गई है वहाँ संख्या लिखी जानी है।

1. **बिन्दु संख्या – 1.1** : विद्यालय के सभी बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाती है। इस बिन्दु में विद्यालय में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता एवं उनके वितरण से संबंधित जानकारी चाही गई है। यदि विद्यार्थियों को 7 जुलाई तक भी सभी विषयों की पाठ्य पुस्तके प्राप्त हो गई हैं तो सामने वाले कॉलम में एक नही ं तो दो अंकित करें।
2. **बिन्दु संख्या – 1.2 व 1.3** : इन बिन्दुओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में जानकारी चाही गई है। अगर विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो 1.2 में 1 अंकित किया जावे। क्या उनके साथ उनकी आवश्यकता अनुसार अलग से कार्य किया जाता है, की सूचना 1.3 में अंकित की जावे।
3. **बिन्दु संख्या – 1.4 से 1.6** : यह तीनों बिन्दु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु जारी दिशा–निर्देश (दिनांक 29.10.2013) से संबंधित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु जारी दिशा–निर्देश के तहत कक्षा 1 व 2 के बच्चों के साथ उन्हें पृथक–पृथक बैठाकर शिक्षण कार्य करवाए जाने, एक शिक्षक को कक्षा एक से पाँच तक में एक ही विषय पढ़ाए जाने तथा प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय से संबंधित दस्तावेजों का समय पर संधारण किए जाने संबंधी निर्देश दिए गए थे। यहाँ उनकी पालना की स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है।
4. **बिन्दु संख्या – 1.7** : इस बिन्दु में संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के साथ विद्यालय की समस्याओं पर की जाने वाली मासिक बैठक एवं होने वाली चर्चा के बारे में जानकारी चाही गई है।
5. **बिन्दु संख्या – 1.8 से 1.10 तक :** इन तीनों बिन्दुओं में प्रत्येक शानिवार को आयोजित की जाने वाली बाल सभा, शिक्षकों के निर्देशन में बच्चों के साथ की जाने वाली सहशैक्षिक गतिविधियों के आयोजन तथा बच्चों के लिए खेलकूद की व्यवस्था के बारे में जानकारी चाही गई है।
6. **बिन्दु संख्या – 1.11 से 1.13 :** इन तीनों बिन्दुओं के विद्यालय में उपलब्ध खेल मैदान की चार दीवारी के संदर्भ में उपलब्धता एवं उसके निर्माण के संदर्भ में जानकारी चाही गई है। खेल मैदान की चार दीवारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मनरेगा से खेल मैदान की चार दीवारी बनवाये जाने की अपेक्षा की जा रही है। अतः उसी संदर्भ में वस्तु स्थिति की जानकारी इन कॉलम्स में दी जावे।
7. **बिन्दु संख्या 1.14** – इस बिन्दु के अन्तर्गत इसी सत्र में मॉनिटरिंग प्रपत्र भरने की आधार तिथि तक विद्यालय में हुए अवलोकन की संख्या का विवरण देना है। प्रत्येक चरण में यह संख्या पिछले चरण की संख्या को जोड़ते हुए अंकित किया जावे।
8. **बिन्दु संख्या – 1.15 एवं 1.16 :** बिन्दु संख्या 1.15 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि तक अवलोकनकर्ता द्वारा अवलोकन प्रपत्र में अंकित सुझावों की कुल संख्या लिखी जानी है। बिन्दु संख्या 1.16 में कुल अवलोकनकर्ता द्वारा दिये गये सुझावों में से विद्यालय प्रशासन ने जितने सुझावों की अनुपालना कर ली हैं वह संख्या अंकित करनी है।

2. शिक्षकों की संख्या, बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति

1. **बिन्दु संख्या – 2.1 :** इस बिन्दु में विद्यालय में शिक्षकों की संख्या के बारे में जानकारी चाही गई है। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) हेतु स्टॉफिग पैटर्न के तहत प्रत्येक विद्यालय हेतु पद स्वीकृत कर दिये गये हैं। स्वीकृत कॉलम में वह संख्या अंकित की जावे। वर्तमान में विद्यालय में कार्यरत

www.rajteachers.com

प्रधानाध्यापक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु स्वीकृत शिक्षकों के विरूद्ध कार्यरत शिक्षकों की संख्या सम्बन्धित कॉलम में दर्ज की जानी है।

2. **बिन्दु संख्या – 2.2 :** इस बिन्दु में विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं उनकी उपस्थिति से संबंधित जानकारी भरी जानी है। इसमें बच्चों का नामांकन, नामांकित बच्चों में से सीडब्लूएसएन बच्चों एवं आयु अनुरूप/विद्यालय से वंचित बच्चों की संख्या, विद्यालय में गत माह तक की औसत उपस्थिति एवं औसत उपस्थिति का प्रतिशत कक्षावार एवं बालक–बालिका के अनुसार चाही गई है।
   1. **औसत उपस्थिति का सूत्र इस प्रकार है –**
      निर्धारित अवधि में कुल उपस्थिति ÷कुल मीटिंग संख्या
   2. **औसत उपस्थिति का प्रतिशत इस प्रकार निकालें**
      औसत उपस्थिति ÷कुल छात्र X 100
3. **बिन्दु संख्या – 2.3 एवं 2.4 :** इन बिन्दुओं में विद्यालय में कुल कार्य दिवस (अवकाश दिवसों को छोड़कर) तथा कुल मीटिंग दिवस (प्रति कार्य दिवस दो मीटिंग) के बारे में जानकारी चाही गई है।

3. शिक्षण प्रक्रिया, बच्चों का शैक्षिक स्तर एवं मूल्यांकन से संबंधित

1. **बिन्दु संख्या – 3.1 :** इस बिन्दु मे शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित जानकारी चाही गई है। कॉलम संख्या 2 में कक्षावार विषय पढ़ाए जाने वाले शिक्षक का नाम लिखा जाना है। कक्षा, शिक्षक का नाम एवं पढ़ाए जाने वाले विषय के आगे शिक्षक द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार पाठ्यक्रम पूरा किया गया है अथवा नहीं, इसकी जानकारी हेतु 1 अथवा 2 अंकित किया जाना है। आगे के कॉलम में क्रमशः शिक्षक द्वारा अपेक्षित शिक्षण योजना बनाई जाती है, समूहवार शिक्षण करवाया जाता हैं, गृह कार्य नियमित दिया जाता है, गृहकार्य की जाँच नियमित की जाती है तथा बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है अथवा नहीं आदि के बारे में जानकारी चाही गई है। सभी कॉलम में हाँ के लिए 1 एवं नही ं के लिए 2 अंकित किया जावे। सूचना कक्षावार एवं विषयवार अंकित की जानी है।
2. **बिन्दु संख्या – 3.2 :** इस बिन्दु में बिन्दु संख्या – 3.1 का समेकित रुप ही लिखा जाना है। जैसे – कुल कक्षाएँ, कुल शिक्षक संख्या, कुल विषय, कितने विषयों में पाठ्यक्रम मानदण्डानुसार पूर्ण किया गया है, कितने शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना बनाई है सम्बन्धित कॉलम में 3.1 में अंकित 1 (हाँ) का योग लिखा जाना है। कुल विषयों के आधार पर अंकित हाँ के योगानुसार प्रतिशतता निकालकर प्रतिशत के कॉलम में अंकित करना है। इसका उद्देश्य उपरोक्त कार्य कितने प्रतिशतता में हो रहे है इसकी जानकारी एकत्र करना है।
3. **बिन्दु संख्या – 3.3 :** इस बिन्दु में शिक्षक द्वारा किए गए बच्चों के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी चाही गई है। शिक्षक द्वारा बच्चों के आकलन/मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। बिन्दु–1 एवं 2 में अधिगम संकेतकों के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किए जाने, प्रश्न पत्र पर बच्चों द्वारा किए गए काम का सही आकलन किए जाने के बारे में जानकारी चाही गई है। बिन्दु संख्या – 3 में आकलन/मूल्यांकन के बाद बच्चों की प्रगति को अभिभावकों के साथ शेयर किए जाने तथा बिन्दु संख्या – 4 में कम उपलब्धि वाले बच्चों के लिए अलग से कार्य योजना बनाए जाने संबंधी जानकारी चाही गई है।

   नोट : यह जानकारी बच्चों के गत मूल्यांकन के आधार पर भरी जानी है।
4. **बिन्दु संख्या – 3.4 :** इस बिन्दु में कक्षा एवं विषयवार बच्चों के शैक्षिक स्तर के बारे में विस्तृत रुप से सूचना चाही गई है। जिस चरण का यह प्रपत्र भरा जाएगा, उस चरण के गत अंतिम मूल्यांकन/आकलन के आधार पर बच्चों का शैक्षिक स्तर भरा जाना है। मूल्यांकन/आकलन में A, B, C, D & E ग्रेड प्राप्त बच्चों की संख्या यहाँ कक्षा एवं विषयवार लिखी जानी है। प्रतिशत के कॉलम में कुल मूल्यांकन में प्रविष्ट बच्चों के आधार पर ग्रेडवार कुल अंकित बच्चों की प्रतिशतता दर्ज की जानी है। राज्य के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक सीसीई के तहत बच्चों का मूल्यांकन किया जा रहा है। अतः कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के आंकलन की सूचना इस प्रपत्र में **नहीं भरी जानी है।** कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियो की सूचना इस बिन्दु अन्तर्गत अंकित की जावे।

www.rajteachers.com

5. **बिन्दु संख्या – 3.5 :** इस बिन्दु में कक्षा 8 में अध्ययनरत उन छात्रों का विवरण देना है जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार 8वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुए है। 8वीं बोर्ड के नियमानुसार ग्रेड का निर्धारण इस प्रकार किया गया है–

ग्रेड	A+	A	B	C	D
अंक	91 से 100	76 से 90	61 से 75	41 से 60	0 से 40

मूल्यांकन में प्रविष्ट बच्चों की संख्या के आधार पर ग्रेडवार प्रतिशतता दर्ज की जानी है। तृतीय एसएमएफ की सूचना में यदि 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी स्थानीय परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए है तो बिन्दु 3.4 के अन्तर्गत चाही गई 8वीं कक्षा के विद्यार्थियो की ग्रेडवार स्थिति का अंकन बिन्दु संख्या 3.4 में नहीं करके 3.5 में ही अंकित किया जावे।

4. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम

1. **बिन्दु संख्या – 4.1 :** बिन्दु संख्या – 4.1 एवं 4.2 में चाही गई सूचनाएँ सीसीई संचालित विद्यालयों द्वारा भरी जानी है। इन बिन्दुओं में बच्चों के शैक्षिक स्तर एवं सीसीई सामग्री एवं गतिविधियों से संबंधित जानकारी चाही गई है। बिन्दु संख्या 4.1 में प्रत्येक कक्षा में अध्ययनरत छात्रों का स्तर गत मूल्यांकन में (सीसीई आधारित) दर्ज स्तरानुसार अंकित करना है। कक्षा 6 से 8 तक की सूचनाएं मात्र उन विद्यालयों से भरी जानी हैं जिनमें उच्च प्राथमिक स्तर तक सीसीई कार्यक्रम संचालित है। विद्यार्थियों के स्तर को कक्षावार, विषयवार देखने का प्रयास किया गया है। कॉलम A में कक्षा के उन विद्यार्थियों की संख्या अंकित करनी है जो गत मूल्यांकन में कक्षा के स्तरानुसार पाये गये एवं कॉलम B में कक्षा के स्तर से निम्न स्तर पर रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या अंकित की जानी है।

   बिन्दु संख्या 4.2 में सीसीई कार्यक्रम की समीक्षा हेतु प्रश्न पूछे गये हैं अतः सीसीई सामग्री की उपलब्धता, आधार रेखा मूल्यांकन (कक्षा पदस्थापन) चैक लिस्ट का संधारण, न्यून स्तर के बच्चो के लिए विशेष शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कराये जाने की स्थिति की जानकारी इन प्रश्नों के अन्तर्गत चाही गई है। वस्तु स्थिति अनुसार हाँ के लिए 1 व नही ं के लिए 2 अंकित किया जावे।

5. शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र से संबंधित

1. **बिन्दु संख्या – 5.1 :** बिन्दु संख्या – 5.1 से 5.5 तक में शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के बारे में जानकारी चाही गई है। बिन्दु संख्या – 5.1 में शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने वाले शिक्षकों की संख्या अंकित की जानी है। बिन्दु संख्या 5.2 में उन शिक्षकों की संख्या अंकित की जानी है जिनके शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन करवाए जा चुके है।
2. **बिन्दु संख्या – 5.3 :** इस बिन्दु में शिक्षकों द्वारा भरे गए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र पर संस्था प्रधान की सहमति के बारे में जाना गया है।
3. **बिन्दु संख्या – 5.4 एवं 5.5 :** बिन्दु संख्या – 5.4 में विद्यालय से ऐसे शिक्षकों की संख्या चाही गई है, जिन्हें संस्था प्रधान द्वारा उत्कृष्ट ग्रेड दी गई है तथा बिन्दु संख्या – 5.5 में ऐसे शिक्षकों की संख्या चाही गई है, जिन्हें संस्था प्रधान द्वारा न्यूनतम ग्रेड दी गई है।

6. कल्प कार्यक्रम

1. **बिन्दु संख्या – 6.1 :** बिन्दु संख्या – 6.1 से 6.5 तक में पूछे गये प्रश्नों की जानकारी कल्प कार्यक्रम (Computer Added Learning Programe) की समीक्षा हेतु रखे गये हैं। बिन्दु संख्या 6.1 सभी विद्यालयो को भरना है। यदि कल्प कार्यक्रम संचालित है तो उस विद्यालय को 6.2 से 6.5 की जानकारी उपलब्ध करानी है।
2. **बिन्दु संख्या 6.2 से 6.5 –** इन बिन्दुओं में कार्यक्रम संचालित होने का सत्र, कितने कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये की संख्या, क्रियाशील कम्प्यूटरों की संख्या, क्रियाशील कम्प्यूटर के माध्यम से ई–लर्निंग, (सीडी/कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षण) की व्यवस्था की जानकारी चाही गई है।

www.rajteachers.com

7. पुस्तकालय का उपयोग

इस भाग में पुस्तकालय एवं पुस्तकों के उपयोग के बारे में जानकारी चाही गई है।

1. **बिन्दु संख्या – 7.1 :** इस बिन्दु में पुस्तकालय में कुल उपलब्ध पुस्तकों की संख्या पूछी गई है। स्टॉक रजिस्टर में देख कर कुल पुस्तकों की संख्या लिखनी है।
2. **बिन्दु संख्या – 7.2 :** इस बिन्दु में तय समयावधि तक पुस्तकालय से बच्चों को इश्यू की गई पुस्तकों की संख्या पूछी गई है। इश्यू रजिस्टर में देख कर यह संख्या लिखनी है।
3. **बिन्दु संख्या – 7.3 :** प्रत्येक कक्षा को प्रति सप्ताह समय विभाग चक्र में एक पुस्तकालय कालांश दिए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। बिन्दु संख्या – 7.3 के माध्यम से यह देखा गया है कि उक्त निर्देशानुसार समय विभाग चक्र में पुस्तकालय कालांश की व्यवस्था की गई है अथवा नहीं।
4. **बिन्दु संख्या – 7.4 :** इस बिन्दु में पुस्तकालय कालांश में बच्चों को पुस्तकालय सामग्री पढ़ने के लिए दी जाती है अथवा नहीं, इस बारे में जानकारी चाही गई है।
5. **बिन्दु संख्या – 7.5 :** इस बिन्दु में बच्चों द्वारा पढ़ी गई सामग्री का प्रार्थना सभा में उपयोग किया जाता है अथवा नहीं, इस बारे में जानकारी चाही गई है।

8. शिक्षक प्रशिक्षण

इस भाग में शिक्षक प्रशिक्षणों, संकुल स्तरीय समीक्षा बैठकों से संबंधित जानकारी चाही गई है।

1. **बिन्दु संख्या – 8.1 एवं 8.2 में :** इन बिन्दुओं में संस्था प्रधान को यह भरना है कि उनके विद्यालय में कितने शिक्षकों को मई–जून, 2015 में एसआईक्यूई/नवीन पाठ्यपुस्तक आधारित प्रशिक्षण प्राप्त करना था तथा कितने शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
2. **बिन्दु संख्या – 8.3 एवं 8.4 :** सभी संस्था प्रधानों को लीडरशिप का प्रशिक्षण दिया गया है। बिन्दु संख्या – 8.4 में संस्था प्रधान ने लीडरशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा प्राप्त प्रशिक्षण संस्था प्रधान के लिए उपयोगी साबित हो रहा है अथवा नहीं, इस बारे में जानकारी चाही गई है।
3. **बिन्दु संख्या – 8.5 एवं 8.6 :** बिन्दु संख्या – 8.5 एवं 8.6 में संस्था प्रधान से यह जानकारी चाही गई है कि उनके विद्यालय से संकुल स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में कितने शिक्षकों को भाग लेना था तथा कितने शिक्षकों ने इस बैठक में भाग लिया। संकुल स्तरीय समीक्षा बैठकों से तात्पर्य है कि एसआईक्यूई कार्यक्रम अन्तर्गत विषयाध्यापकों को आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा आहूत बैठक अथवा ब्लॉक स्तर पर भी एसआईक्यूई/सीसीई/विषय से सम्बन्धित किये गये कार्य की समीक्षा एवं चर्चा हेतु बुलाई गई बैठक।

9. पेयजल, शौचालय एवं शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम

1. **बिन्दु संख्या–9.1 :** बिन्दु संख्या – 9.1 में विद्यालय में क्रियाशील पेयजल व्यवस्था के बारे में जानकारी चाही गई है।
2. **बिन्दु संख्या – 9.2 एवं 9.3 में :** इन बिन्दुओं में विद्यालय में बालक–बालिकाओं हेतु अलग–अलग शौचालय सुविधा तथा उनके उपयोग में लिए जाने के बारे में जानकारी चाही गई है।
3. **बिन्दु संख्या – 9.4 एवं 9.5 में :** प्रत्येक विद्यालय को शाला स्वच्छता एवं शौचालय की साफ–सफाई हेतु 500/– प्रतिमाह की दर से प्रति वर्ष अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। इन बिन्दुओं में राशि की प्राप्ति एवं उसके समुचित उपयोग के संदर्भ में जानकारी चाही गई है।
4. **बिन्दुं संख्या 9.6 एवं 9.7 –** मिड–डे– मिल कार्यक्रम अन्तर्गत भोजन से पूर्व बच्चों को साबुन से हाथ धोने हेतु निर्देशित किया गया है। इन बिन्दुओं के अन्तर्गत हाथ धोने की व्यवस्था एवं बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोने की आदत के बारे में जानकारी चाही गई है।
5. **बिन्दु संख्या – 9.8 :** शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। बिन्दु संख्या – 9.8 में इसी के बारे में संस्था प्रधान से जानकारी चाही गई है।
6. **बिन्दु संख्या – 9.9 :** कक्षा 6 से 8 तक के बालक–बालिकाओं को साप्ताहिक आयरन गोली दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बिन्दु में बच्चों को आयरन गोली दिए जाने के बारे में जानकारी चाही गई है।

www.rajteachers.com

7. बिन्दु संख्या – 9.10 : संस्था प्रधान को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रपत्र संख्या–3 में साप्ताहिक आयरन फोलिक अनुपूरण कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रति माह बीईईओ को प्रस्तुत किए जाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। संस्था प्रधान द्वारा रिपोर्ट बीईईओ को प्रस्तुत की जा रही है अथवा नहीं, के बारे में इस बिन्दु अन्तर्गत जानकारी चाही गई है।

10. साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम (WIFS) कार्यक्रम

1. **बिन्दु संख्या 10.1** –WIFS नीली व गुलाबी गोली की आधार तिथि को विद्यालय में उपलब्ध संख्या अंकित की जानी है।
2. **बिन्दु संख्या 10.2** में WIFS नीली व गुलाबी गोली की वार्षिक आवश्यकता का आंकलन कर संख्या अंकित करनी है। वार्षिक आवश्यकता का आंकलन इस प्रकार किया जाना है।
   2.1 **गुलाबी गोली =** विद्यार्थियों की संख्या (कक्षा 1 से 5) X 52 सप्ताह + 20% बफर (Extra) कुल योग में से स्टॉक में उपलब्ध गोलियों की संख्या को घटाकर वार्षिक आवश्यकता का आंकलन करना है।
   2.2 **नीली गोली =** विद्यार्थियों की संख्या (कक्षा 6 से 8) X 52 सप्ताह + 20% बफर (Extra) स्टॉक उपलब्ध गोलियों की संख्या को घटाकर वार्षिक आवश्यकता का आंकलन करना है। शिक्षकों की संख्या X 52 सप्ताह + 20% बफर (Extra) कुल योग में से स्टॉक में उपलब्ध गोलियों की संख्या को घटाकर वार्षिक आवश्यकता का आंकलन करना है।
3. **बिन्दु संख्या 10.3** – प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक सप्ताह में एक गोली (गुलाबी कक्षा 1से 5 तथा नीली कक्षा 6 से 8 हेतु) सेवन करने हेतु दी जानी है। अतः प्रति माह प्रति सप्ताह के आधार पर 4 अथवा 5 गोलियाँ प्रत्येक विद्यार्थी को सेवन करनी होगी। आधार तिथि (स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र भरने की अवधि) तक प्रति माह 4 अथवा 5 गोलियाँ सेवन करने वाले अर्थात प्रत्येक सप्ताह गोली सेवन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस कॉलम में दर्ज की जानी है।
4. **बिन्दु संख्या 10.4** – प्रति माह 4 अथवा 5 गोलियों से कम सेवन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस कॉलम में दर्ज की जानी है। एक भी गोली का सेवन नहीं किया है उन विद्यार्थियों की संख्या भी इस कॉलम में दर्ज की जानी है।
5. **बिन्दु संख्या 10.5** – प्रति सप्ताह प्रत्येक शिक्षक को नीली गोली का सेवन करने के निर्देश दिये गये हैं। इस कॉलम में उन शिक्षकों की संख्या लिखी जानी है जिन्होंने निर्देशानुसार प्रति सप्ताह नीली गोली का सेवन किया है। जिन शिक्षकों ने किसी भी सप्ताह में गोली का सेवन नहीं किया है उनकी संख्या इस कॉलम में दर्ज नहीं की जानी है।
6. **बिन्दु संख्या 10.6** – विद्यालय स्तर पर लक्षणों के आधार पर सामान्य/गम्भीर एनिमिया के विद्यार्थी चिकित्सकीय परामर्श हेतु रैफर करने का प्रावधान है। ये लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं – जैसे चक्कर आना, थकान महसूस करना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, शारीरिक/मानसिक वृद्धि कम होना, हथेली का जीभ का पीला पड़ना। इन लक्षणों के आधार पर निर्धारित तिथि तक जितने विद्यार्थियों को चिकित्सकीय परामर्श हेतु रैफर किया है उन विद्यार्थियों की संख्या इस कॉलम में लिखी जानी है।
7. **बिन्दु संख्या 10.7** – पेट के कीड़ों की रोकथाम के लिए अगस्त व फरवरी माह में एल्बेन्डाजोल टेबलेट प्रत्येक विद्यार्थी को दी जानी है। अगस्त माह में जितने विद्यार्थियों ने इस गोली का सेवन किया है वह संख्या प्रथम त्रैमासिक सूचना (आधार तिथि 31 अगस्त) में अंकित की जानी है। फरवरी माह में गोली का सेवन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तृतीय त्रैमासिक सूचना (आधार तिथि 30 अप्रैल) में अंकित की जानी है।
8. **बिन्दु संख्या 10.8** – राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष में एक बार मोबाइल हैल्थ टीम द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की जानी है। जिन विद्यार्थियों की जाँच मोबाइल हैल्थ टीम द्वारा कर ली गई है उनकी संख्या इस कॉलम में दर्ज करनी है।

www.rajteachers.com

9. **बिन्दु संख्या 10.9** – इस मोबाइल हैल्थ टीम द्वारा स्वास्थ्य जाँच के आधार पर रैफर किये गये विद्यार्थियों के रैफरल कार्ड बनाये जाने हैं। जितने विद्यार्थियों का रैफरल कार्ड बनाया जा चुका हैं वह संख्या इस कॉलम में दर्ज करनी है।
10. **बिन्दु संख्या 10.10** – राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष में एक बार मोबाइल हैल्थ टीम द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की जानी है। विद्यालय में हैल्थ टीम ने विद्यार्थियों की जाँच कर ली है तो हाँ के लिए 1 तथा नहीं के लिए 2 अंकित करें। साथ ही अगले वाले कॉलम में जिस तिथि को जाँच की गई है उस दिनांक को अंकित करना है।

नोट : WIFS नीली गोली की सूचना जिन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 है उनमें कक्षा 6 से 8 तक की सूचना तथा जिन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 है उनमें कक्षा 6 से 12 तक की सूचना बिन्दु संख्या 9.1 से 9.10 में अंकित की जानी है।

11.एसएमसी से संबंधित

इस भाग में एसएमसी की गतिविधियों से संबंधित जानकारी चाही गई है।

1. **बिन्दु संख्या – 11.1 एवं 11.2 :** प्रति वर्ष परिषद् के निर्देशानुसार एसएमसी के सदस्यों को प्रशिक्षण देने की कार्ययोजना बनाकर प्रशिक्षण करवाया जाता है। यहाँ पर एसएमसी के सदस्यों का प्रशिक्षण हुआ है अथवा नहीं, के बारे में जानकारी चाही गई है। 11.2 में एसएमसी हेतु आयोजित प्रशिक्षण में सम्मिलित सदस्यों की संख्या चाही गई है। लेकिन यह ध्यान रखा जावे कि विद्यालय स्टॉफ के सदस्य जो एसएमसी के सदस्य भी है उनकी संख्या यहां पर अंकित नहीं करनी है।
2. **बिन्दु संख्या – 11.3 :** प्रत्येक विद्यालय के लिए यह अनिवार्य है कि सत्र प्रारंभ में विद्यालय विकास योजना तैयार की जाए और तद्नुसार कार्य पूर्ण किया जाए। इस बिन्दु मे यह पूछा गया है कि विद्यालय विकास योजना तैयार की गई है अथवा नहीं।
3. **बिन्दु संख्या – 11.4 एवं 11.5 :** संस्था प्रधान को निर्देशित किया गया है कि विद्यालय संबंधित मुद्दों पर एसएमसी सदस्यों के साथ प्रति माह मासिक बैठक आयोजित करें। इस बिन्दु में यह पूछा गया है कि इस प्रपत्र को भरे जाने तक की समयावधि में एसएमसी के साथ कितनी मासिक बैठकें आयोजित की जानी थीं ? बिन्दु संख्या – 11.5 में यह पूछा गया है कि इस दौरान एसएमसी के साथ कितनी बैठकें आयोजित की गई?
4. **बिन्दु संख्या – 11.6 :** में यह पूछा गया है कि उक्त बैठकों में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे ? उपस्थित सदस्यों की संख्या लिखी जानी है।
5. **बिन्दु संख्या – 11.7 :** इस बिन्दु में आधार तिथि तक आयोजित बैठकों में कुल कितने एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा की गई है। कुल एजेण्डा बिन्दुओं की संख्या दर्ज की जानी है।
6. **बिन्दु संख्या – 11.8 एव 11.9 :** आयोजित बैठकों में चर्चा में लिये गये एजेण्डा बिन्दुओं में से कुल कितने निर्णय किये गये। 11.8 में दर्ज किया जाना है एवं 11.9 में एसएमसी द्वारा लिये गये निर्णयों की अनुपालना के संदर्भ में जानकारी चाही गई है। अर्थात जिन निर्णयों की पालना हो चुकी है उन्हीं की संख्या इसमें दर्ज की जावे।

12. विद्यालय का समेकित मूल्यांकन

यह भाग विद्यालय को समेकित ग्रेड देने के उद्देश्य से रखा गया है। संस्था प्रधान इस भाग में दिए गए बिन्दुओं को पढ़े और शिक्षकों के साथ विद्यालय के कार्य की समीक्षा करते हुए इन बिन्दुओं के सामने A, B, C ग्रेड में से कोई एक ग्रेड अंकित करें। संस्था प्रधान नीचे दिए गए आधार पर अपने विद्यालय को ग्रेड अंकित करें। ग्रेड आधार इस प्रकार है

www.rajteachers.com

क्रम	ग्रेड बिन्दु	ग्रेड – A	ग्रेड – B	ग्रेड – C
12.1	बच्चों का शैक्षिक स्तर	विद्यालय में सभी कक्षाओं में A एवं B ग्रेड वाले बच्चे अथवा सीसीई विद्यालयो में कक्षा के अनुरूप 80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी गत मूल्यांकन में होने की स्थिति में	विद्यालय में सभी कक्षाओं में A एवं B ग्रेड वाले बच्चे अथवा सीसीई विद्यालयो में कक्षा के अनुरूप 50 से 80 प्रतिशत तक होने पर।	विद्यालय में सभी कक्षाओं में A एवं B ग्रेड वाले बच्चे अथवा सीसीई विद्यालयो में कक्षा के अनुरूप 50 प्रतिशत से कम होने पर।
12.2	बच्चों का नामांकन (CTS सर्वे के अनुसार)	100 प्रतिशत बच्चों का नामांकन होने पर	70 से 99 प्रतिशत तक नामांकन होने पर	70 से कम नामांकन होने पर
12.3	बच्चों की उपस्थिति	औसत उपस्थिति का प्रतिशत 85 से अधिक होने पर।	औसत उपस्थिति का प्रतिशत 71 से 85 तक होने पर।	औसत उपस्थिति का प्रतिशत 70 से कम होने पर।
12.4	विद्यालय विकास योजना की क्रियान्विति का स्तर	निर्धारित समयावधि तक नियोजित विकास योजना 91 से 100 प्रतिशत पूर्ण होने पर।	निर्धारित समयावधि तक 75 से 90 प्रतिशत विकास योजना पूर्ण होने पर।	निर्धारित समयावधि तक 75 प्रतिशत से कम विकास योजना पूर्ण होने पर।
12.5	विद्यालय विकास हेतु एसएमसी एवं समुदाय के सहयोग की स्थिति	अपेक्षित 100 प्रतिशत सहयोग प्राप्त होने की स्थिति में।	75 से 100 प्रतिशत सहयोग प्राप्त होने की स्थिति में।	75 से कम सहयोग प्राप्त होने की स्थिति में।
12.6	शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना बनाये जाने की स्थिति।	कार्यरत समस्त शिक्षकों द्वारा निर्धारित अवधि में अपेक्षित शिक्षण योजना बनाने पर।	75 से 99 प्रतिशत शिक्षकों द्वारा अपेक्षित शिक्षण योजना बनाने पर।	75 प्रतिशत से कम शिक्षकों द्वारा अपेक्षित शिक्षण योजना बनाने पर।
12.7	बच्चों द्वारा किये गये अभ्यास कार्य की नियमित जाचँ एवं सुधारात्मक कार्य	91 से 100 प्रतिशत बच्चों द्वारा किये गये अभ्यास कार्य (कक्षा कार्य, गृह कार्य) की नियमित जाँच एवं सुधारात्मक कार्य करवाये जाने पर	70 से 90 प्रतिशत तक बच्चों के अभ्यास कार्य की नियमित जाँच एवं सुधारात्मक कार्य करवाये जाने पर	70 प्रतिशत से कम अभ्यास कार्य की नियमित जाँच एवं सुधारात्मक कार्य करवाये जाने पर
12.8	निर्धारित समयावधि में पाठ्यक्रम की पूर्णता (अधिगम संकेतक एवं पाठ्यक्रम विभाजन दस्तावेज के अनुसार)	निर्धारित समयावधि में 100 प्रतिशत पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर।	निर्धारित समयावधि में 75 से 99 प्रतिशत तक पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर।	निर्धारित समयावधि में 75 प्रतिशत से कम पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर।
12.9	शिक्षक द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग	विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का 81 से 100 प्रतिशत तक उपयोग करने पर	विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का 60 से 80 प्रतिशत तक उपयोग करने पर	विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का 60 से कम प्रतिशत तक उपयोग करने पर
12.10	सहशैक्षिक गतिविधियों (साहित्यिक एवं सांस्कृतिक) का आयोजन	विद्यालय के 80 प्रतिशत से अधिक बच्चों द्वारा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी लेने पर।	विद्यालय के 60 से 80 प्रतिशत तक बच्चों द्वारा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी लेने पर।	विद्यालय के 60 से कम प्रतिशत तक बच्चों द्वारा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक में गतिविधियों भागीदारी लेने पर।
12.11	विद्यार्थियों के लिए खेलकूद की व्यवस्था	विद्यालय के 81 से 100 प्रतिशत तक बच्चों द्वारा खेलकूद में भागीदारी लेने पर।	विद्यालय के 60 से 80 प्रतिशत तक बच्चों द्वारा खेलकूद में भागीदारी लेने पर।	विद्यालय के 60 से कम प्रतिशत तक बच्चों द्वारा खेलकूद में भागीदारी लेने पर।

www.rajteachers.com

12.12	पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था	स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र के भाग–9 (पेयजल, शौचालय एवं शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम) में 8 अथवा 8 से अधिक प्रश्नों में 1 (हाँ) अंकित करने की स्थिति में	स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र के भाग–9 (पेयजल, शौचालय एवं शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम) में 4 से 8 प्रश्नों में 1 (हाँ) अंकित करने की स्थिति में	स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र के भाग–9 (पेयजल, शौचालय एवं शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम) में 1 से 3 प्रश्नों में 1 (हाँ) अंकित करने की स्थिति में
12.13	पुस्तकालय का उपयोग़	विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 2 से 5/8 के विद्यार्थियों में से 81 से 100 प्रतिशत विद्यार्थियों के द्वारा प्रति सप्ताह पुस्तकालय में उपलब्ध कम से कम एक पुस्तक पढ़ने की स्थिति में।	विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 2 से 5/8 के विद्यार्थियो में से 60 से 80 प्रतिशत विद्यार्थियों के द्वारा प्रति सप्ताह पुस्तकालय में उपलब्ध कम से कम एक पुस्तक पढ़ने की स्थिति में।	विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 2 से 5/8 के विद्यार्थियों में से 60 प्रतिशत से कम विद्यार्थियों के द्वारा प्रति सप्ताह पुस्तकालय में उपलब्ध कम से कम एक पुस्तक पढ़ने की स्थिति में।
12.14	विद्यालय भवन एवं परिसर की स्थिति	विद्यालय भवन एवं परिसर में कम से कम निम्नांकित बिन्दुओं की अपेक्षा की जा रही है – 1. स्वीकृत शिक्षकानुसार अच्छी स्थिति (उपयोग में लिये जाने योग्य) में कक्षा–कक्ष 2. प्रधानाध्यापक कक्ष की उपलब्धता (उपयोग में लिये जाने योग्य) 3. विद्यालय परिसर की चारदीवारी 4. उपलबध भवन की स्वच्छता एवं रंग रोगन 5. परिसर में पर्याप्त वृक्षारोपण 6. विद्यालय भवन निर्माण में भामाशाहों का योगदान उपर्युक्त 6 बिन्दुओं में से कम से कम 5 बिन्दुओं की पालना होने की स्थिति में।	बिन्दु संख्या ए में अंकित बिन्दुओं में से कम से कम 3 बिन्दुओं की पालना विद्यालय में होने की स्थिति में।	बिन्दु संख्या ए में अंकित बिन्दुओं में से 3 बिन्दुओं से कम की पालना विद्यालय में होने की स्थिति में।
12.15	विद्यालय अवलोकन में दिए गए सुझावों की अनुपालना की स्थिति	आधार तिथि तक किये गये अवलोकन के दौरान दिये गये सुझावों में से 81 से 100 प्रतिशत सुझावों की अनुपालना होने की स्थिति में।	अवलोकनकर्ता द्वारा दिये गये सुझावों में से 60 से 80 प्रतिशत अनुपालना होने की स्थिति में।	अवलोकनकर्ता द्वारा दिये गये सुझावों में से 60 प्रतिशत से कम अनुपालना होने की स्थिति में।
12.16	विद्यालय की विशिष्ट उपलब्धि	विद्यालय को राज्य एवं जिला स्तरीय उपलब्धि होने पर	ब्लॉक स्तरीय उपलब्धि होने पर	ग्राम पंचायत स्तरीय उपलब्धि होने पर

विद्यालय की समेकित ग्रेड :

विद्यालय की समेकित ग्रेड (A,B,C)निम्नानुसार निकाली जानी है –

उपर्युक्त टेबल में अंकित 16 बिन्दुओं के अन्तर्गत प्राप्त ए,बी, सी का भार (Watage) इस प्रकार निकाला जावे –

A = 5 Marks , B= 3 Marks , C= 2 Marks अधिकतम अंक 80 होंगे। जिस विद्यालय को 80 प्रतिशत से अधिक अंक अर्थात 64 से 80 अंक प्राप्त हो समेकित ग्रेड में ए अंकित किया जावे। जिस विद्यालय को 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अंक

www.rajteachers.com

अर्थात 48 से 79 अंक प्राप्त हो वे अपने विद्यालय को समेकित ग्रेड बी अंकित करें। जिन विद्यालयों को 48 से कम अंक प्राप्त हो रहे है वे सी ग्रेड में माने जाने है।

13. विद्यालय स्तर को और अधिक उन्नत करने के लिये आवश्यकता है :

इस भाग में संस्था प्रधान से यह अपेक्षा की गई है कि अपने विद्यालय को अधिक उन्नत बनाने के लिए जिन–जिन पक्षों की मजबूत करने की आवश्यकता है, उनका चयन करें। चयनित पक्षों के सामने 1 तथा चयनित नहीं किए जाने वाले बिन्दुओं के सामने 2 लिखें। इस भाग को भरते समय संस्था प्रधान अपने साथी शिक्षकों से अनिवार्य रुप से चर्चा करें।

अंत में प्रधानाध्यापक निर्धारित स्थान पर अपनी सील सहित हस्ताक्षर करें। एसएमसी अध्यक्ष एवं उपलब्ध सदस्यों के हस्ताक्षर निर्धारित प्रपत्र पर चर्चा करने के पश्चात प्राप्त करें। आगामी एसएमसी की बैठक में मॉनिटरिंग टूल्स (SMF) की सूचनाओं को आवश्यक रूप से सभी के साथ शेयर किया जाये। अपने विद्यालय की ग्रेड सुधारने हेतु सभी शिक्षक एवं एसएमसी सदस्य मिलकर कार्य योजना बनावें तदनुरूप कार्य किया जाये। निर्धारित अवधि तक अनिवार्य रूप से एसएमएफ को ऑनलाइन करवाया जाये।

www.rajteachers.com